–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 26/2024

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र छोटूलाल,
2. गीतादेवी पुत्री छोटूलाल,
3. देवा पुत्र कल्ला,
4. नौरत पुत्र घीसा,
5. महावीर पुत्र नाथू,
6. रामदेव,
7. श्रवण लाल,
8. सत्यनारायण पुत्र छोटूलाल,
9. हंगामा पुत्र धीसा समस्त जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटू पुत्र धूला,
2. कालू पुत्र नौरत
3. भंवरया पुत्र धूला,
4. मोहन पुत्र सुरजमल
5. रतन पुत्र सूरजमल समस्त जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद,
6. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 2 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी,
6 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 28.11.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर7280 रकबा 1.36 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी आराजी पर अप्रार्थीगण की भूमि 7270 से 7273 7275, 7341/10211 व सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 7341 में पूरब से पश्चिम दिशा में आवागमन करते है। खातेदार नौरत की मृत्यु हो गयी है जिसका वारिस अप्रार्थी संख्या 2 है। खातेदार हरकू पत्नी सुवा व पोखर पुत्र सुवा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस अप्रार्थीगण ही है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी मे आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:47 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7280 रकबा 1.36 प्रार्थीगण की खातेदारी की है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर आवागमन हेतु किसी प्रकार का लघुतम व दीर्धतम मार्ग नही है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया गया है। रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी प्रकरण में बतायी गयी है। मौके पर पूर्व में भी अप्रार्थीगण की भूमि प्रस्तावित मार्ग में से हाकर आवागमन किया जाना रिपोर्ट में अंकित है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं, उनके द्वारा जवाब व खण्डन भी पेश नही किया है। मौका रिपोर्ट से मार्ग की आत्यतिंक आवश्कता सिद्व होती है। अन्य मार्ग राजस्व अभिलेख में दर्ज नही हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस अन्य वैकलिपक मार्ग का उल्लेख नही किया है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।प्रार्थीगण द्वारा 30 फिट चौडा मार्ग चाहा है। किन्तु कृषि कार्य के लिये 15 फिट मार्ग दिया जाना उचित होगा।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7271 में से 110 वर्ग मीटर, 7272 में से 137 वर्ग मीटर, 7275 में से 201 वर्ग मीटरव 7273 में से 73 वर्ग मीटर (4.57 मीटर चौडा) भूमि गै.मु. रास्तें के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 7271, 7272, 7275 व 7273 की भूमि के बदले क्रमशः 7322/, 9153/, 13424/ व 4882/ रूपये सबंधित खातेदारों को भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद कराने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:47 IST
Reason: SelfAttested